सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 51/19 निर्णय दिनांकः 12.07.2019

1. दुर्गादत्त पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी बूटिया तहसील व जिला चूरू।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25—06—1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 25—06—1999 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन चक 3 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 50/46 में भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा अरनेस्ट मनी राशि 500/— खजानाराज में जमा करवा दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही

अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी उपस्थित नहीं आया ऐसी स्थिति में प्रार्थी के अलावा अन्य आवेदक को भूमि आवंटन की जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 3 एनजीएम के मुरब्बा नम्बर 50/46 की भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट्स द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25—06—1999 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने व आवेदित रकबा अन्य को आवंटित होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व आवंटन अधिकारी द्वारा कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि

अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2014 स्प. पेज 455 व आरआरटी 2016 पार्ट ाा पेज 1342 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 11—03—19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने व अन्य को आवंटित होने के कारण खारिज किया गया है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 11—03—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का अन्य जिलें का निवासी है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आवंटन

अधिकारियों की कार्यवाही की लगातार पड़ताल करें। आवंटन अधिकारी द्वारा सूचना देने का कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट का प्रथम दृष्टया दोष प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलांट द्वारा गत् 19 साल के दौरान आवंटन अधिकारी के उक्त आदेश की निर्धारित समयावधि में अपील न करने के पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने के आधार पर विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रकरण में अपीलाधीन आदेश में आवंटन अधिकारी ने अपीलांट का आवेदन पत्र 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाने तथा आवेदित रकबा अन्य किसी को आवंटित किये जाने के आधार पर खारिज किया गया है। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तमाम दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अपीलांट/प्रार्थी को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व किसी भी प्रकार का नोटिस अथवा सूचना दिये जाने का सबूत उपलब्ध नहीं है। आवंटन अधिकारी द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के उद्वेश्य मात्र से मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2014—14 स्प. पेज 455 प्रस्तुत की गई है जिसमें अभिलिखित किया गया है किः—

Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in Indira Gandhi Canal Colony Project Area) Rules[1975 - Rule 23(2) - Application for special allotment was dismissed ex-parte without giving any notice - No opportunity of hearing given- Held, Order set aside & the authority is directed to decide the application afresh.

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य नजीर आरआरटी 2016 पार्ट ाा पेज 1343 में अभिलिखित किया गया है किः—

नियम 13 — ए(5) (iv) प्रोविजो, के अनुसार स्पष्ट किया है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति नियम 7 (1) के प्राथमिकताओं में भूमि आवंटित

नहीं करा सका है तो भी उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी, यदि ऐसी अनावंटित भूमि के आवंटन के लिये अन्य आवेदकों का कोई आवेदन लम्बित नहीं हो।

प्रकरण में उपरोक्त दोनों नजीरें मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है। आवंटन अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 13 के प्रावधानों पर गौर किये बिना तथा बिना परीक्षण किये बिना एक साईक्लोस्टाईल प्रोफार्मा पर अविधिक रूप से अपीलांट/प्रार्थी का आवंटन प्रार्थना खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—06—1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर उसके प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 12.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर